

# समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू  
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची - 682 036, भारत

## The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)

MPEDA House, Panampilly Avenue,

P.B. No. 4272, Kochi-682 036. India



फोन } 2311979, 2311901  
Phone } 2311854, 2311803  
2313415, 2314468  
2315065

फाक्स } : 91-484-2313361  
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in

Website : www.mpeda.gov.in

REF: REG/GC/OR/1/2020

23.12.2020

संदर्भ/Ref:

तारीख/Date:

### परिपत्र

**विषय: फील्ड कार्यालयों द्वारा एपीई के लिए पंजीकरण नवीकरण / विर्चुअल निरीक्षण के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन-संबंधी**

समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और हैंडलिंग केंद्रों के अनुमोदन या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विर्चुअल मोड के माध्यम से विशेषज्ञों के मूल्यांकन पैनल (एपीई) द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण में शामिल होने के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए फील्ड कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फील्ड कार्यालयों ने सूचित किया है कि कोविड 19 रोगजनक द्वारा निरीक्षण अधिकारियों को संदूषण होने की चिंताओं के कारण, ईआईसी द्वारा ईआईए को निर्देश दिया गया है कि मौजूदा प्रतिष्ठानों के नवीकरण के अनुमोदन के लिए इकाइयों के निरीक्षण हेतु विर्चुअल मोड को अपनाएं।

मामले की जांच की गई और यह अनुमान लगाया गया है कि स्थापना परिसर की उचित जांच, एचएसीसीपी आधारित समुद्री खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन और संबंधित दस्तावेज सत्यापन के लिए, स्थापना के पंजीकरण के नवीनीकरण से पहले भौतिक सत्यापन किया जाना अतिवारी है, जो अन्यथा सिस्टम में भूल चूक पैदा कर सकता है, गुणवत्ता अनुपालन से समझौता कर सकता है और जो अस्वीकार / शिकायत का कारण बन सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे इकाइयों का भौतिक रूप से निरीक्षण करें और विनियमों के संतोषजनक अनुपालन के आधार पर पंजीकरण को नवीनीकृत / पंजीकृत करें, भले ही ईआईए कार्यालय विर्चुअल मोड से निरीक्षण करें।

निरीक्षण करने वाले अधिकारी इकाई का निरीक्षण करते समय कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और एमपीईडीए दिशानिर्देशों के अनुसार इकाई द्वारा कोविड 19 प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का सत्यापन भी करेंगे।

अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी।

(डॉ राम मोहन एम के)  
संयुक्त निदेशक (गु नि) & प्रशासन प्रभारी

परिचालन :

(1) सभी फील्ड कार्यालय

(2) अध्यक्ष/ निदेशक/ सं नि (वि) - कृपया सूचनार्थ.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू  
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

## The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)  
MPEDA House, Panampilly Avenue  
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } 2311979, 2311901  
Phone } 2311854, 2311803  
2313415, 2314468  
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361  
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in  
Website : www.mpeda.com

REF: REG/GC/OR/1/2020

Date: 23.12.2020

### CIRCULAR

#### **Sub: Physical Verification for registration renewal / virtual inspection for APE by Field Offices- reg.**

Requests have been received from field offices seeking clarification on joining the inspection by Assessment Panel of Experts (APE) through virtual mode for renewal of the registration / approval of seafood processing units and handling centres. The field offices have informed that EIAs have been instructed by EIC to follow virtual mode of inspection of the units for renewal of approval of the existing establishments, because of the concerns of contamination of the inspecting officers by Covid-19 pathogen.

The matter was examined and it is inferred that in order to have a proper examination of the establishment premises, implementation of HACCP based seafood safety management system and related document verification, it is imperative to have the physical verification done prior to renewal of the registration of the establishment, which otherwise can lead to omissions and lapses in the system, compromising quality compliance and can lead to rejections / complaints.

In view of the above, field offices are hereby instructed to inspect the units physically and grant registration / renew the registration based on satisfactory compliance to regulations, even if the EIA office proceeds with the virtual mode of inspection.

The inspecting officials shall follow Covid-19 protocols while inspecting the unit and shall also verify the implementation of Covid-19 protocols by the unit as per MPEDA guidelines.

Issued with the approval of Chairman.

Digitally signed by  
MOHANCOTTAGE KESHAWKRUP  
RAMMOHAN  
DN: cn=IN, o=Personal, title=5764,  
pseudonym=c1c3a8e483badf025ff  
4ff4e13e6123166366df,  
2.5.4.20=fe17113a89c426edae138e  
a8621692d00de35d4230afb78c64  
95699baa8664,  
postalCode=688005, st=Kerala,  
serialNumber=f2608fe2169c6cebb3  
625d0fb6858806eb494c5712cd69  
1148d07c3f473566a,  
cn=MOHANCOTTAGE KESHAWKRUP  
RAMMOHAN  
Date: 2020.12.23 15:54:34 +05'30'

(Dr. Ram Mohan.M.K.)  
Joint Director (QC) & Admin I/c

#### Circulation:

- (1) All Field Offices
- (2) Chairman / Director / JD (M) - for favour of information please.